



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50105

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7825/2026

फूलपत्ती देवी

----- याचिकाकर्ता

बनाम

उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील हंडिया और 15 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : दीपक प्रजापति, सुरेश कुमार मौर्य

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
2. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी-प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. प्रस्तुत रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई एकमात्र प्रार्थना यह है कि प्रतिवादी संख्या 1, अर्थात् उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज को यह निर्देश दिया जाए कि वे U.P. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अंतर्गत आने वाले वाद संख्या 8647/2022, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202202030408647 (फूलपत्ती देवी बनाम अजय कुमार एवं अन्य) का विनिश्चय निर्धारित समयावधि के भीतर करें।
4. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही, प्रतिवादी संख्या 1, यानी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज को यह निर्देश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त मामले का निर्णय कानून के अनुसार, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, शीघ्रता से करें—बशर्ते कि इसमें कोई कानूनी बाधा न हो।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।